

प्रेषक,

निदेशक,

विकलांग कल्याण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: ^{८-३५१} /वि०क०/यो०/आवंटन/2011-12, लखनऊ ^{०५} दिनांक: मई, 2011.

विषय:-दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की प्रथम छमाही हेतु आवंटन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रथम छमाही हेतु शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण/संचालन योजना (आयोजनागत-ऋण) के अन्तर्गत संलग्नानुसार कुल रू० 36,15,000/- (रू० छत्तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है:-

शर्त एवं प्रतिबन्ध:-

1. उपर्युक्त धनराशि का व्यय उ०प्र० विकलांग पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना, 2004 के प्रविधानों एवं तत्संबंधी शासनादेश के अनुसार (ऋण के रूप में) किया जाये। जिस लाभार्थी को प्रश्नगत आवंटन के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाये उसे उ०प्र० विकलांग पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना नियमावली, 2004 के अन्तर्गत अनुदान पक्ष हेतु जारी किये गये आवंटन आदेश के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि भी अनिवार्य रूप से स्वीकृत की जाये।
2. प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी०एम०-08 निर्धारित प्रपत्र पर, कोषागार डी०डी०ओ० रिकन्सीलेशन शीट एवं इस हेतु स्वीकृत लाभार्थियों के नाम व पते सहित विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बजट मैनुवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कैलेंडर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र सं०-3318/दस-22/98 दि०- 28.07.1998 में किया गया है।
3. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हों। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी०एल०ए० में न रखी जाये। आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत समयबद्ध व्यय आपका उत्तरदायित्व है, जिस धनराशि की आवश्यकता न हो उसे प्रत्येक दशा में 28 फरवरी, 2012

तक समर्पित किया जाना सुनिश्चित करे। समय से व्यय/व्ययधिक्य/समर्पण प्राप्त न होने की दशा में इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या बी-1195/दस-16/1994 दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या बी-2337/दस-97 दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी मद में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं अन्य प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।


उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक "6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-आयोजनागत-03-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा। उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक् अनुदान पंजिका के पृष्ठ संख्या:- 17 पर अंकित है।

(आर0एन0 उपाध्याय)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, हकदारी/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त उपनिदेशक।
6. वित्त व्यय नियंत्रण (अनुभाग-3)/वित्त(बजट) अनुभाग-1/2
7. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1


(उमाकान्त मिश्र)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

| क्रमांक | जनपद का नाम | भौतिक लक्ष्य | आवंटन |
|---------|----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आगरा | 13 | 97.50 |
| 2 | मैनपुरी | 4 | 30.00 |
| 3 | मथुरा | 7 | 52.50 |
| 4 | फिरोजाबाद | 7 | 52.50 |
| | आगरा मण्डल का योग | 31 | 232.50 |
| 5 | अलीगढ़ | 10 | 75.00 |
| 6 | महामाया नगर | 6 | 45.00 |
| 7 | एटा | 7 | 52.50 |
| 8 | काशीराम नगर | 4 | 30.00 |
| | अलीगढ़ मण्डल का योग | 27 | 202.50 |
| 9 | झांसी | 6 | 45.00 |
| 10 | ललितपुर | 4 | 30.00 |
| 11 | जालौन | 5 | 37.50 |
| | झांसी मण्डल | 15 | 112.50 |
| 12 | हमीरपुर | 2 | 15.00 |
| 13 | महोबा | 2 | 15.00 |
| 14 | बांदा | 4 | 30.00 |
| 15 | चित्रकूट | 2 | 15.00 |
| | चित्रकूटधाम मण्डल | 10 | 75.00 |
| 16 | लखनऊ | 9 | 67.50 |
| 17 | रायबरेली | 5 | 37.50 |
| 18 | हरदोई | 10 | 75.00 |
| 19 | उन्नाव | 8 | 60.00 |
| 20 | सीतापुर | 9 | 67.50 |
| 21 | खीरी | 10 | 75.00 |
| 22 | छत्रपति शाहूजी महाराज नगर | 6 | 45.00 |
| | लखनऊ मण्डल का योग | 57 | 427.50 |
| 23 | बरेली- | 8 | 60.00 |
| 24 | बदायूं- | 7 | 52.50 |
| 25 | पीलीभीत- | 5 | 37.50 |
| 26 | शाहजहांपुर- | 6 | 45.00 |
| | बरेली मण्डल का योग | 26 | 195.00 |
| 27 | मेरठ- | 6 | 45.00 |
| 28 | बागपत- | 3 | 22.50 |
| 29 | गाजियाबाद- | 7 | 52.50 |
| 30 | गौतमबुद्ध नगर- | 3 | 22.50 |

| क्रमांक | जनपद का नाम | भौतिक लक्ष्य | आवंटन |
|---------|-------------------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | बुलन्दशहर- | 9 | 67.50 |
| | मेरठ मण्डल का योग | 28 | 210.00 |
| 32 | सहारनपुर- | 8 | 60.00 |
| 33 | मुजफ्फरनगर- | 9 | 67.50 |
| | सहारनपुर मण्डल का योग | 17 | 127.50 |
| 34 | मुरादाबाद- | 7 | 52.50 |
| 35 | ज्योतबाफूले नगर | 3 | 22.50 |
| 36 | रामपुर- | 8 | 60.00 |
| 37 | बिजनौर- | 7 | 52.50 |
| | मुरादाबाद मण्डल का योग | 25 | 187.50 |
| 38 | वाराणसी- | 11 | 82.50 |
| 39 | चन्दौली- | 4 | 30.00 |
| 40 | गाजीपुर- | 7 | 52.50 |
| 41 | जौनपुर- | 11 | 82.50 |
| | वाराणसी मण्डल का योग | 33 | 247.50 |
| 42 | मिर्जापुर- | 5 | 37.50 |
| 43 | सन्त रविदास नगर- | 3 | 22.50 |
| 44 | सोनभद्र- | 3 | 22.50 |
| | विन्ध्याचल मण्डल का योग | 11 | 82.50 |
| 45 | गोरखपुर | 8 | 60.00 |
| 46 | महराजगंज- | 9 | 67.50 |
| 47 | देवरिया- | 9 | 67.50 |
| 48 | कुशीनगर- | 5 | 37.50 |
| | गोरखपुर मण्डल का योग | 31 | 232.50 |
| 49 | बस्ती- | 6 | 45.00 |
| 50 | सन्त कबीर नगर- | 4 | 30.00 |
| 51 | सिद्धार्थनगर- | 6 | 45.00 |
| | बस्ती मण्डल का योग | 16 | 120.00 |
| 52 | आजमगढ़- | 15 | 112.50 |
| 53 | मऊ- | 3 | 22.50 |
| 54 | बलिया- | 7 | 52.50 |
| | आजमगढ़ मण्डल का योग | 25 | 187.50 |
| 55 | इलाहाबाद- | 17 | 127.50 |
| 56 | कौशाम्बी- | 3 | 22.50 |
| 57 | फतेहपुर- | 6 | 45.00 |
| 58 | प्रतापगढ़- | 8 | 60.00 |
| | इलाहाबाद मण्डल का योग | 34 | 255.00 |

(बी० सी० श्रीवास्तव)
 छप निदेशक, विकलांग कल्याण।

